

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एक ऐसे लोक महत्व के प्रश्न पर, जो देश के करोड़ों लोगों के जनजीवन के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा हुआ अविलंबनीय महत्व का प्रश्न है, पर बोलने की अनुज्ञा दी।

मैं आपके माध्यम से सम्पूर्ण सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया में इनवायरनमेंट और इकोलॉजी की बात हो रही है। आज दुनिया के, यूरोप के तमाम मुल्कों में राष्ट्रीय पार्टियाँ, पोलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में सोशल फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी की लड़ाई लड़ रही हैं। भारत में भी लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देश के कुल भूभाग का 33 प्रतिशत वनों से आच्छादित होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, तभी लोगों को पर्याप्त आक्सीजन मिल सकती है और लोगों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत में वनों के संरक्षण के लिए इंडियन फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट है, जिसके तहत वनों को काटने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए अनुमति लेनी होती है। लेकिन जैसे राजा कोई गलती नहीं करता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजारों पेड़ काट दिए गए, उसके बाद नोएडा में हजारों पेड़ काट दिए गए, किसी बहुत बड़े जनहित के लिए नहीं, किसी उद्योग के लिए नहीं, जनता की किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं, केवल पार्क बनाने के लिए काट दिए गए। इस पर पर्यावरण मंत्रालय ने सुओ-मोटो नोटिस लिया। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि वहाँ पर पेड़ काटे गए और मैं उसकी जांच करवा रहा हूँ। नोएडा के बाद, उससे गंभीर एक अन्य मामला यह है कि ताजमहल, जो दुनिया का आठवाँ आश्चर्य है, जो विश्व की एक धरोहर है, उसके परिसर के हजारों पेड़ भी काट दिए गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में जस्टिस एस.बी. सिन्हा, जस्टिस एस.एच.कपाड़िया और जस्टिस डी.के. जैन ने उत्तर प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है कि ताजमहल के आस-पास जो छः लेन का एक्सप्रेस-वे बन रहा है, उसमें कितने पेड़ काटे गए हैं। आज उच्चतम न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया, इस तरह से उनको चिंता है। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी कहा है कि आपकी जो वन सलाहकार समिति है, वह ताजमहल, जो दुनिया की एक धरोहर है, के आस-पास जो पेड़ राज्य सरकार द्वारा बिना अनुमति के, गैर-कानूनी तरीके से काटे गए हैं, उसको देखे, क्योंकि पेड़ तभी काटे जा सकते हैं जब उसकी अनुमति ली गयी हो या उनके स्थान पर दूसरे पेड़ लगाए जाएं। उत्तर प्रदेश, जहाँ अगर कोई सामान्य व्यक्ति एक पेड़ काट ले तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। जब वहाँ की सत्ता में बैठे हुए लोग केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए या अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी मूर्तियों को स्थापित करने के लिए लोगों के जनजीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो उसका इस सदन को संज्ञान लेना पड़ेगा और सदन को गंभीर चिंता व्यक्त करनी होगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, मैं इससे स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया : नहीं, आप बैठिए। आप सिन्हा जी को बोलने दीजिए।

â€|(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Only what Shri Shatrughan Sinha says will go in the record and nothing else.

(Interruptions) â€|*